

उत्तर मध्य रेलवे

सं-याता./सामा./संरक्षा आयुक्त/01/05
दिनांक-02.04.2014

प्रधान कार्यालय
परिचालन शाखा
इलाहाबाद


मंडल रेल प्रबंधक
वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
उत्तर मध्य रेलवे
इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी

विषय : संशोधन पत्र 02 (दुर्घटना नियमावली/उ.म.रे.) |

दुर्घटना नियमावली-2012 के पैरा संख्या-6.11 में संशोधन किया गया है जोकि आवश्यक अनुपालन हेतु भेजा जा रहा है | कृपया तदनुसार कार्यवाही करें |

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है |

संलग्नक : यथोक्त


(एस.डी.सिंह)
वरि.याता.प्रबंधक/योजना

प्रतिलिपि -

1. संरक्षा सलाहकार/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली
2. सचिव/महाप्रबंधक/उ.म.रे./इला. महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ
3. मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य अभियंता, मुख्य विद्युत अभियंता, मुख्य यांत्रिक अभियंता, मुख्य संकेत एवं दूर संचार अभियंता/उ.म.रे./इला. |
4. मुख्य परिचालन प्रबंधक - उत्तर रेलवे, उत्तरपश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे |
5. प्रधानाचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी
6. प्रधानाचार्य/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/कानपुर

Amendment Slip No. 02 dated 31.03.2014 to the Accident Manual 2012 of NCR

Existing para 6.11 at page no. 64 is deleted and substituted as under -

The video cassette of the serious accidents should be prepared not by taking clippings here and there but in a continuous manner by specifically showing the position of coaches, engine, undergears of coaches and engines, rails, track, etc. and the clues which may in turn provide some information to the inquiring authority. Similarly, still photographs should also be taken in a judicious manner.

The services of a reliable local photographer/videographer may be utilised till arrival of Railway photographer/videographer or where Railway photographer/viedographer is not available.

31

02-4-14
(U.K.Singh)
COM